भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 887**
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

## सीईएफपीपीसी योजना

**887. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** विगत पांच वर्षों के दौरान मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना के अंतर्गत स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या कितनी है और उनकी वर्तमान तथा अद्यतन स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

**(ख)** क्या गन्ना आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण हेतु सीईएफपीपीसी योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

## उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क):** पिछले पांच वर्षों के दौरान, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी) के अंतर्गत कुल तीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमोदित किया गया है। उनकी वर्तमान और अद्यतित स्थिति के अनुसार तीनों इकाइयों को योजना के अंतर्गत अनुमोदन मिल गया है। तीनों परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं:

| **क्र.सं.** | **इकाई का नाम** | **ज़िला** | **अनुमोदन की तिथि** | **क्षेत्र** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मेसर्स वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड | बरेली | 05/01/2023 | उपभोक्ता उत्पाद |
| 2. | मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड | नोएडा | 05/01/2023 | उपभोक्ता उत्पाद |
| 3. | मेसर्स शिवम नेचुरल्स ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड | हापुड़ | 24/01/2023 | तेल मिलिंग |

**(ख):** गन्ना आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण हेतु खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****